हर प्रोटेक्शन ऑर्डर अलग होता है परन्तु यह किसी व्यक्ति को आपसे संपर्क करने, आपके करीब आने और आपके या आपके परिवार के सदस्यों के प्रति निजी हिंसा करने से वर्जित कर सकता है।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि:

- आप यह फैसला ले सकती हैं कि क्या मामले की जांच-पड़ताल की जाए
- आप अपना मन बदल भी सकते/ती हैं
- आप सवाल पूछ सकती हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते/ती हैं
- यह सुनिश्चित करना आपका काम है कि आप समझती हैं कि क्या हो रहा है, और जितनी बार आपको ज़रूरत होगी हम आपको चीज़ों का विवरण देंगे
- आपके मामले की जांच-पड़ताल उचित तौर पर प्रशिक्षित किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी
- किसी के साथ भी, किसी भी परिस्थिति में, यौन उत्पीड़न नहीं होना चाहिए
- किसी के साथ यौन उत्पीड़न करने का कोई भी कारण स्वीकार्य नहीं है
- यौन उत्पीड़न होने पर कोई सामान्य या विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं होती है
- यौन उत्पीड़न एक अपराध है

आप अकेले/ली नहीं हैं

यौन उत्पीड़न किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे आयु, क्षमता, सामाजिक वर्ग, लिंग, जातीय पृष्ठभूमि या यौन अभिविन्यास कुछ भी हो।

यौन उत्पीड़न किसी के द्वारा भी किया जा सकता है चाहे उनका आपके साथ कोई भी रिश्ता हो। अपराधकर्ता परिजन, मित्र, साथी, अजबनी, सहकर्मी, जीवनसाथी या भूतपूर्व-जीवनसाथी हो सकता है।

इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं या आप उन्हें कैसे जानते/ती हैं, यौन उत्पीड़न एक अपराध है।

यौन उत्पीड़न हिंसा के साथ या इसके बिना या हिंसा की धमकी के साथ हो सकता है।

आपके मामले का प्रभारी जांचकर्ता है:

नाम: _____

फोन: _____

ई-मेल: _____

जॉब नम्बर: _____

यदि आपके कोई सवाल हैं या आपको अधिक जानकारी की ज़रूरत है तो कृपया हमसे संपर्क करें।

सहायता सेवाएँ

- कैनबरा बलात्कार संकटकालीन केन्द्र (इसमें यौन उत्पीड़न के पुरूष उत्तरजीवियों की सहायता करने वाली सेवा (SAMSSA) और The Nguru प्रोग्राम शामिल है): **6247 2525**
- घरेलू हिंसा संकटकालीन केन्द्र (DVCS): **6280 0900**
- पीड़ित सहायता ACT (Victim Support ACT): **1800 822 272**
- बाल एवं युवा संरक्षण सेवाएँ (CYPS): **1300 556 729**

और अधिक जानकारी के लिए देखें:
https://www.police.act.gov.au/safety-and-security/sexual-assault

@actpolicing

Hindi Pamphlet

ACT Policing

आपने पुलिस को यौन उत्पीड़न की सूचना दी है।

हम मानते हैं कि आपके साथ हुए उत्पीड़न की सूचना देने में आपने बहुत हिम्मत और साहस दिखाया है, और हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपको जो जवाब देंगे, वह सम्मानजनक , गैर-निर्णयात्मक, समर्थक, और समझबूझ वाला होगा।

आपके साथ जो हुआ, वह अपराध है। यह आपकी गलती नहीं है।

यह पुस्तिका उन लोगों के लिए जिन्होंने यौन उत्पीड़न का सामना किया है और इसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी शामिल है:

- पुलिस को बयान देना
- चिकित्सीय जांच किट (Medical Examination Kit, MEK)) क्या है?
- पुलिस जांच-पड़ताल
- जांच-पड़ताल में कितना समय लगेगा?
- प्रोटेक्शन ऑर्डर (सुरक्षा आदेश) क्या है?
- पुलिस संपर्क विवरण
- सहायता सेवाएँ

पुलिस को बयान देना

इस बात की संभावना है कि पुलिस ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड की जाने वाली इंटरव्यू करेगी, जो कि इस बारे में आपका औपचारिक बयान होगा कि क्या हुआ है (आपने क्या देखा, सुना और/या महसूस किया)।

इसमें जांचकर्ता द्वारा आपसे खुले सवाल पूछना शामिल है ताकि आपको जितना सर्वश्रेष्ठ संभव हो, विस्तार से उत्पीड़न की घटना को याद करने में मदद मिले। यदि आप सारी जानकारी याद नहीं रख सकते/ती हैं, या आपको जवाब याद नहीं हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है।

बयान देने में अक्सर कई घंटे लग सकते हैं। हो सकता है कि आप एक ही बार में इसे पूरा करना चाहें, या आप इसे समय के साथ-साथ कई सत्रों में पूरा करना चाह सकते/ती हैं – यह आपके ऊपर है।

हम आम-तौर पर पुलिस स्टेशन पर एक गुप्त कक्ष में आपका बयान लेते हैं, परन्तु हम आपके घर या किसी ऐसे अन्य स्थान पर जा सकते हैं जहाँ आप सहज महसूस करते/ती हैं।

बयान के दौरान, हम जितनी संभव हो सके, आपसे जानकारी एकत्रित करने के लिए बहुत से सवाल पूछेंगे।

कुछ सवाल आपको शर्मिंदा या असहज महसूस करवा सकते हैं। ऐसा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है – हम भी लोग हैं, पेशेवर हैं, और यह हमारा काम है। आप जो भी कहेंगी, उससे हमें शर्मिंदगी नहीं होगी या बुरा नहीं लगेगा, और यह महत्वपूर्ण है कि आपके साथ हो हुआ, हम उससे सम्बन्धित जितनी हो सके, जानकारी एकत्रित करें।

कुछ सवाल आपको यह महसूस करवा सकते हैं कि हम आप पर शक करते हैं या आपको लेकर कोई धारणा बना रहे हैं, परनिश्चित तौर पर ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि आपके साथ जो हुआ, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं।

हम आपसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जैसे कि आपने क्या पहना था या आप क्या पी रहे थे/रही थी क्योंकि जो हुआ, उसके बारे में हमें जितना हो सके, उतना जानने की ज़रूरत है ताकि हमें अपना काम करने में मदद मिल सके। यौन उत्पीड़न के लिए कोई बहाना ठीक नहीं है, चाहे आपने कुछ भी पहना हो या आपने कितनी भी शराब पी हो।

बयान देना घाव भरने जैसा हो सकता है, या यह दर्दनाक अनुभव हो सकता है, या दोनों का मिश्रण हो सकता है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, और इसे जितना संभव हो सके, उतना सुरक्षात्मक तथा सकारात्मक बनाने के लिए हमसे जो हो सकेगा, हम करेंगे।

यदि आप चाहें तो एक समर्थक व्यक्ति आपके साथ रह सकता है, परन्तु यह अच्छा होगा यदि वह व्यक्ति घटना का गवाह या कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसको आपने घटना के बारे में बताया हो। हम भी आपके लिए समर्थक व्यक्ति का प्रबंध कर सकते हैं।

यदि आप बयान नहीं देना चाहते/ती हैं, तो आप ऐसा निर्णय ले सकते/ती हैं, परन्त पुलिस द्वारा जांच-पडताल किए जाने के लिए औपचारिक बयान की ज़रूरत होती है।

MEK क्या होता है?

MEK का अर्थ है चिकित्सीय जांच किट (Medical Examination Kit)।

यदि हाल ही में (जैसे कि पिछले 7 दिनों में) आपके साथ यौन उत्पीड़न हुआ हो तो आपको MEK में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है।

MEK अस्पताल में होता है और इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर और नर्स द्वारा आपकी चिकित्सीय जांच किए जाना शामिल है। इसमें चोटों की फोटो लेना, या आपके शरीर से संभावी प्रमाण के नमूने (स्वैब) लेना शामिल हो सकता है।

जांच का नियंत्रण आपके पास होता है और आप किसी भी समय इसे रोकने के लिए कह सकते/ती हैं।

MEK आपके विरूद्ध किए अपराध का प्रमाण प्रदान कर सकता है और पुलिस जांच-पड़ताल में सहायता कर सकता है।

पुलिस जांच-पड़ताल

हम प्रमाण इकट्ठा करके आपके मामले की जांच-पड़ताल करेंगे। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकता है:

- गवाहों के बयान लेना;
- फोरेंसिक प्रमाण इकट्ठे करना, जैसे कि कपड़े और बिस्तर आदि;
- चिकित्सीय रिकॉर्ड्स, CCTV और फोन रिकॉर्ड्स इकट्ठे करना; और
- अपराधकर्ता के पास जाना और उसकी इंटरव्यू लेना।

जब हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हो जाएगा, तो हम अपराधकर्ता पर मुकदमा चला सकते हैं और उसे न्यायालय के समक्ष ला सकते हैं।

हम आपसे पूछेंगे कि जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप आप क्या नतीजा चाहते/ती हैं।

यदि आप चाहते/ती हैं कि हम जांच-पड़ताल को जारी न रखें, तो कोई बात नहीं, बस हमें बता दें। आप किसी भी समय अपना मन बदल सकते/ती हैं, हमें संपर्क कर सकते/ती हैं और हम फिर से जांच-पड़ताल शुरू कर देंगे।

फोरेंसिक प्रमाण, CCTV जैसे कई प्रकार के प्रमाण और यहाँ तक कि जो हुआ है उसे लेकर किसी व्यक्ति की याददाश्त भी समय के साथ कम और खत्म हो जाएगी। चाहे आप चाहते/ती हैं कि हम अपराधी पर मुकदमा न चलाएँ, हम सभी उपलब्ध प्रमाण अभी इकट्ठा करना चाहेंगे और उस स्थिति में इसे संरक्षित करके रखना चाहेंगे यदि आप अपना मन बदल लेते/ती हैं।

यौन उत्पीड़न एक गंभीर अपराध है और इसकी सूचना देने और इसपर मुकदमा चलाने को लेकर कोई समय-सीमा नहीं है।

जांच-पड़ताल में कितना समय लगेगा?

जांच-पड़ताल में लगने वाला समय अलग-अलग होता है। आपके मामले का प्रभारी जांचकर्ता आपके संपर्क रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हर चरण पर जांच-पड़ताल की प्रगति के साथ आपको अपडेट रखा जाता है। यदि मामला आगे न्यायालय में जाता है तो:

- जांचकर्ता आपसे इस बारे में बात करेगा कि न्यायालय प्रक्रिया के दौरान क्या उम्मीद करें
- न्यायालय प्रक्रिया में लगने वाला समय कई कारणों की वजह से हर मामले के लिए अलग होता है
- कुछ मामलों को न्यायालय में अंतिम रूप लेने में लंबा समय लग सकता है
- ऐसी कई न्यायालय तिथियाँ होंगी जहाँ आपको उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है
- यदि आपका मामला आगे ट्रायल (सुनवाई) तक पहुँचता है, तो जब सुनवाई चल रही हो तो आपके लिए न्यायालय जाना और आपके साथ जो हुआ उसके बारे में बात करना अनिवार्य हो सकता है (सुनवाई के दौरान आपके पास उपलब्ध सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जांचकर्ता आपसे चर्चा करेगा)
- हम सुनिश्चित करेंगे कि यदि आप चाहें तो आपके पास संपूर्ण न्यायालय प्रक्रिया के दौरान सलाह-मशविरे और/या समर्थक तक पहुँच है

प्रोटेक्शन ऑर्डर (सुरक्षा आदेश) क्या हैं?

आप न्यायालय पर प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए आवेदन कर सकते/ती हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डरों में शामिल हैं:

- निजी प्रोटेक्शन ऑर्डर
- कार्यस्थल प्रोटेक्शन ऑर्डर
- पारिवारिक हिंसा ऑर्डर